



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2137]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 5, 2015/आश्विन 13, 1937

No. 2137]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 5, 2015/ASVINA 13, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2015

का.आ. 2697(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग के कालम (2) में - तदनुरूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट के अनुसार उक्त सारणी के कालम (1) में तदनुरूप प्रविष्टि के अनुसार यथा-विनिर्दिष्ट खंड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात्:-

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग खंड	लंबाई किमी में
(1)	(2)	(3)
"32	गोबिंदपुर - धनबाद - चास - कुमारदागा - झारखंड/पश्चिम बंगाल सीमा झारखंड/पश्चिम बंगाल सीमा - चांडिल - जमशेदपुर खंड (झारखंड राज्य में)	किमी 106.5

[फा. सं. एनएच-14013/14/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2015

S.O. 2697(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highway as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:—

TABLE

National Highway No.	Section of National Highway	Length in Kilometers
(1)	(2)	(3)
“32	Gobindpur-Dhanbad-Chas-Kumardaga-Jharkhand/West Bengal border Jharkhand/West Bengal border -Chandil-Jamshedpur section (In the State of Jharkhand)	106.5 km

[F. No. NH-14013/14/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2015

का.आ. 2698(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 10 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

तालिका

“10	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 [किमी 199.500 से किमी 183.200 तक (बहरागोरा-झारखंड/पश्चिम बंगाल सीमा) खंड को छोड़कर], सं. 23 [किमी 0.000 से किमी 81.200 (चास - रामगढ़ खंड) को छोड़कर], सं. 31, सं. 33 [किमी 0.000 से किमी 333.500 तक (बरही-हजारीबाग-रांची-जमशेदपुर-महुलिया-बहरागोरा) खंड को छोड़कर], सं. 75, सं. 75 का विस्तार, सं. 78, सं. 80, सं. 98, सं. 99, सं. 100, नई रारा सं. 114ए, नई रारा सं. 133, नई रारा सं. 43, नई रारा सं. 133ए, नई रारा सं. 143ए, नई रारा सं. 220, नई रारा सं. 333बी, नई रारा सं. 333, नई रारा सं. 333ए, नई रारा सं. 343 और नई रारा सं. 419 के उतने भाग जो झारखंड राज्य में अवस्थित हैं ।	झारखंड राज्य सरकार
-----	---	--------------------

[फा. सं. एनएच-14013/14/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

टिप्पण: मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार सं. का.आ. 1921 (अ), 15 जुलाई, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2015

S.O. 2698(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 10 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

TABLE

“10	So much of National Highways No. 6 [excluding from Km. 199.500 to Km. 183.200 (Bahragora-Jharkhand/West Bengal Border)], No. 23 [excluding from km. 0.000 to km. 81.200 (Chas-Ramgarh section)], No. 31, No. 33 [excluding from Km. 0.000 to km. 333.500 (Barhi-Hazaribagh-Ranchi-Jamshedpur- Mahulia-Bahragora)], No. 75, Extension of No. 75, No. 78, No. 80, No. 98, No.99, No.100, new National Highway No.114A, new National Highway No. 133, new National Highway No. 43, new National Highway No. 133A, new National Highway No. 143A, new National Highway No. 220, new National Highway No. 133B, new National Highway No. 333, new National Highway No. 333A, new National Highway No. 343 and new National Highway No. 419 as are situated within the State of Jharkhand.	State Government of Jharkhand
-----	--	-------------------------------

[F. No. NH-14013/14/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Note : The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 1921 (E), dated the 15th July, 2015.